न्यायालय, जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी, सी. आर. मीना आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 28/2016 अपील आवश्यक वस्तु अधिनियम

रमाकान्त शर्मा पुत्र मालीराम, निवासी दरीबा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राजस्थान)।

अपीलान्ट

बनाम

1. जिला रसद अधिकारी, सीकर।
2. प्रवर्तन निरीक्षक नीमकाथाना, जिला सीकर (राजस्थान)।

रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितः–

1. श्री राधेश्याम बिंयाला अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. महेन्द्र सिंह नूनियां, जिला रसद अधिकारी सीकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से ।

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 16.02.2015 द्वारा जिला रसद अधिकारी, सीकर

निर्णय

निर्णय दिनांकः 22 अप्रैल, 2019

1. अपीलान्ट ने अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है किः–

(1) अपीलान्ट करीब 25 वर्षों से राशन सामग्री वितरण का कार्य रसद विभाग के नियमों के अनुसार करता आ रहा है तथा अपीलान्ट के विरूद्व राशन वितरण के सम्बन्ध में किसी भी उपभोक्ता द्वारा कोई शिकायत राशन वितरण के सम्बन्ध में नहीं की गई है। अपीलान्ट के विरूद्व आज तक कोई आपराधिक प्रकरण भी दर्ज नहीं हुआ है अर्थात अपीलान्ट के विरूद्व खाद्यान वितरण के सम्बन्ध में कोई आरोप उपभोक्ताओं द्वारा नहीं लगाये गये हैं। दिनांक 07.11.2014 को अपीलान्ट अपने रिश्तेदारी में मृत्यु होने पर शोक व्यक्त करने ग्राम टोडा गया था।

(2) नवम्बर 2014 का गेहूं दिनांक 28.10.2014 को अपीलान्ट की उचित मूल्य दूकान पर पहूंच गया था तथा 20 क्विंटल गेहूं अक्टूबर 2014 का शेष था। यह कम इसलिए रहा क्योंकि सोसायटी के पास उस वक्त गेहूं उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार से उक्त तिथि को पूर्व में शेष रहे 20 क्विंटल गेहूं को शामिल करते हुए कोटा पहुंचाया गया, जो बिल कय–विकय सहकारी समिति लिमिटेड नीमकाथाना के बिल संख्या 5627 दिनांक 07.11.2014 से सिद्व है। जिसमें 185 क्विंटल 30

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

22/4/19
जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

किलो गेहूं का अंकन है, जो करीब 415 कट्टे बनते हैं। इस प्रकार से जब क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा बिल ही दिनांक 07.11.2014 को जारी किया गया हो तो ऐसी स्थिति में स्टॉक रजिस्टर में इसका अंकन कैसे सम्भव हो सकता है?

(3) उचित मूल्य की दूकानों पर राशन वितरण का कार्य पुराने राशन कार्डों के आधार पर किया जा रहा है तथा राशन कार्ड पुराने हो चुके हैं, यहां तक की अनेक राशन कार्ड उपभोक्ताओं से गुम हो चुके हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य सरकार एवं खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर सतर्कता समितियां बना रखी हैं तथा ग्राम स्तर पर सरपंच वितरण व्यवस्था, दुकान संचालन पर निगरानी एवं वितरण के लिए तथा वितरण के प्रमाणीकरण के साथ सतर्कता समिति के अध्यक्ष होता है, ऐसे में जिन उपभोक्ताओं के राशन कार्ड गुम हो गये हैं, उनके लिए सतर्कता समिति के अध्यक्ष द्वारा राशन व केरोसीन वितरण के लिए सरपंच की हस्ताक्षरयुक्त मोहर के साथ पर्ची आने पर केरोसीन का वितरण किया जाता है, जिसमें यह हो सकता है कि कोई उपभोक्ता पुराने राशन कार्ड से भी तेल प्राप्त कर ले व सतर्कता समिति के अध्यक्ष की पर्ची से तेल प्राप्त कर ले, उपभोक्ताओं को तो केरोसीन तेल मिला ही है। जो किसी भी दृष्टि से अनियमितता की श्रेणी में नहीं कही जा सकती है।

(4) अपीलान्ट को करीब 950 राशनकार्ड धारकों को केरोसीन तेल का वितरण करना होता है, जबकि अपीलान्ट को अल्पमात्रा में करोसीन वितरण हेतु प्राप्त होता है, ऐसे में सभी उपभोक्ताओं को केरोसीन वितरण किया जाना किसी भी स्थिति में सम्भव नहीं है। इस विकट स्थिति में अपीलान्ट ने 05.12.2011 को अर्थात करीब 40 माह पूर्व ग्राम पंचायत दरीबा में ग्राम स्तरीय सतर्कता समिति के अध्यक्ष/सरपंच को 3 लीटर करोसीन के स्थान पर ढ़ाई लीटर करने का प्रार्थना पत्र विधिवत रूप से प्रस्तुत किया था, जिस पर बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों सर्वसम्मति से अनुमोदन किया था। उसी परिपेक्ष्य में अपीलान्ट ने ढ़ाई लीटर केरोसीन का वितरण किया है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(5) जिला रसद अधिकारी द्वारा तथाकथित कारण बताओ नोटिस दिनांक 18.11.2014 को अपीलान्ट के नाम जारी किया कर दिनांक 08.12.2014 को जवाब मांगा है। तथाकथित नोटिस जारी करने वाले अधिकारी ने अपने ही द्वारा पूर्वाग्रह से जारी नोटिस के परिपेक्ष्य मे उसी दिन अर्थात 18.11.2014 को अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया जबकि अपीलान्ट द्वारा नोटिस का जवाब दिनांक 08.12.2014 को प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार अपीलान्ट को बिना सुनवाई के ही पर्याप्त अवसर दिये बिना प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया।

7/2/15

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

(7) प्रवर्तन निरीक्षक नीमकाथाना व जिला रसद अधिकारी सीकर के द्वारा तथाकथित रूप से सत्यापन करना बताया गया है, वह प्रोपर वेरिफिकेशन ना होकर मेलाफाइड वेरिफिकेशन है, जो दिये गये तथाकथित कारण बताओ नोटिस आदि दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में स्वयं सिद्व है।

(8) अपीलान्ट गलत कानूनी राय मिलने से भूलवश अपील माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट संख्या 4394/2015 प्रस्तुत कर दी थी। जिसे सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 25.05.2015 को Withdraw किया गया। फिर भी अपीलान्ट सही राय नहीं मिलने से अपील प्रस्तुत करने में देरी के लिए क्षमा करने हेतु अलग से आवेदन अन्तर्गत धारा 05 अवधि अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश जिला रसद अधिकरी सीकर दिनांक **16.02.2015** को निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने का आदेश पारित करने का श्रम करें।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से महेन्द्र सिंह नूनियां, जिला रसद अधिकारी सीकर उपस्थित आये।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि जिला रसद अधिकारी द्वारा तथाकथित कारण बताओ नोटिस दिनांक 18.11.2014 को अपीलान्ट के नाम जारी किया कर दिनांक 08.12.2014 को जवाब मांगा है। तथाकथित नोटिस जारी करने वाले अधिकारी ने अपने ही द्वारा जारी नोटिस के परिपेक्ष्य मे उसी दिन अर्थात 18.11.2014 को अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया, जबकि अपीलान्ट द्वारा नोटिस का जवाब दिनांक 08.12.2014 तक प्रस्तुत करना था। इस प्रकार अपीलान्ट को बिना सुनवाई के ही पर्याप्त अवसर दिये बिना प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर जिला रसद अधिकरी सीकर का आदेश दिनांक **16.02.2015** निरस्त फरमाया जावे।

5. रेस्पोडेन्ट ने स्वयं उपस्थित होकर लिखित बहस प्रस्तुत कर अभिकथन किया है कि दिनांक 07.11.2014 को जिला रसद अधिकारी सीकर बहमराह प्रवर्तन निरीक्षक नीमकाथाना द्वारा उचित मूल्य दुकानदार रमाकान्त शर्मा ग्राम दरीबा तहसील

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

जिला कलक्टर, सीकर

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

नीमकाथाना की उपभोक्ताओं की शिकायत के सम्बध में जांच की गई। जांच के मुताबिक डीलर द्वारा निम्न अनियमितता करना पाया गया:–

(1) वक्त जांच उचित मूल्य दुकानदार स्वयं उपस्थित नहीं मिला। मौके पर डीलर का पुत्र उपस्थित मिला।

(2) उपस्थित व्यक्ति द्वारा दुकान पर माह नवम्बर 2014 हेतु आपूर्ति की गई 415 कट्टे गेहूं का बिल मांगने पर प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही उक्त गेहूं का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज किया जाना पाया।

(3) डीलर द्वारा संधारित वितरण रजिस्टर की जांच करने पर माह नवम्बर 2014 में 21 उपभोक्ताओं को एक माह में 2 बार केरोसीन तेल का वितरण करना दर्ज होना पाया। विभागीय निर्देशानुसार माह के दौरान पात्र उपभोक्ताओं को वैध राशनकार्डों पर केवल एक बार ही राशन सामग्री देय है। इस प्रकार डीलर द्वारा 52.5 लीटर केरोसीन का दुरूपयोग करना पाया।

(4) तत्समय खाद्य विभाग के निर्देशानुसार प्रति राशन कार्ड प्रति माह 3 लीटर केरोसीन तेल वितरण के निर्देश होने के बावजूद डीलर द्वारा 2.5 लीटर केरोसीन तेल का उपभोक्ताओं को वितरण किया गया।

6. हमने अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट होता है कि :–

(1) डीलर द्वारा संधारित वितरण रजिस्टर पर माह नवम्बर 2014 में 21 उपभोक्ताओं को एक माह में 2 बार केरोसीन तेल का वितरण करना दर्ज होना पाया। विभागीय निर्देशानुसार माह के दौरान पात्र उपभोक्ताओं को वैध राशनकार्डों पर केवल एक बार ही राशन सामग्री देय है। इस प्रकार डीलर द्वारा 52.5 लीटर केरोसीन का दुरूपयोग करना पाया।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(2) तत्समय खाद्य विभाग के निर्देशानुसार प्रति राशन कार्ड प्रति माह 3 लीटर केरोसीन तेल वितरण के निर्देश होने के बावजूद डीलर द्वारा 2.5 लीटर केरोसीन तेल का उपभोक्ताओं को वितरण किया गया।

जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

उपरोक्त पैरा संख्या 6 के विवेचन से स्पष्ट है कि राशन डीलर द्वारा केरोसीन तेल का दुरूपयोग करना पाया गया है। अतः उक्त वर्णित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलान्ट **खारिज** की जाती है।

निर्णय आज दिनांकः **22 अप्रैल, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/4/19

(सी. आर. मीना)
जिला कलक्टर, सीकर
जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner